विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2023 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री अशोक अग्रवाल, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-14 का उत्तर ।

	प्रश्न	उत्तर
14(क)	क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि राजधानी लखनऊ के चारों ओर से निकले आउटर रिंग रोड/किसान पथ के दोनों ओर 500/1000 मीटर किसानों की खाली पड़ी भूमि को अधिग्रहण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन लंबित है?	एन0एच0ए0आई0 द्वारा सूचना दी गई है कि वर्तमान में अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित नहीं है।
(ख)	यदि हॉं, तो क्या जनपद-लखनऊ में आउटर रिंग रोड के दोनों तरफ आने वाली आरक्षित श्रेणी की भूमि:- तालाब/पोखरा/चारागाह/ विद्यालय, शमशान घाट, खलिहान आदि सरकारी प्रयोजनों हेतु आरक्षित भूमि का सर्वे कराया गया है?	उपरोक्तानुसार
(ग)	यदि हॉं, तो उक्त परिधि में किस-किस गॉवों की आरक्षित भूमि आती है तथा सर्वे में किन-किन गॉवों में पृथक-पृथक कितनी भूमि है?	प्रश्न नहीं उठता।
(घ)	क्या उक्त भूमि अवैध अतिक्रमण से मुक्त/खाली पड़ी है?	उपरोक्तानुसार
(ड़)	यदि नहीं, तो जनहित के प्रयोजन हेतु छोड़ी गयी उक्त आरक्षित भूमि को खाली कराकर सीमांकन करायेंगे?	उपरोक्तानुसार
(च)	यदि हॉं, तो कब तक?	प्रश्न नहीं उठता।
(छ)	यदि नहीं, तो क्यों?	उपरोक्तानुसार

बृजेश सिंह
राज्य मंत्री
लोक निर्माण विभाग।